

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ओर्डर 20, सल 6-7, जाखा दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

शारदा देवी बनाम विरेन्द्रनाथ आदि

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 111/2021

निर्णय दिनांक :- 11.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई स्वस्व उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी बादी अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी व प्रतिवादी संख्या 1 विरेन्द्रनाथ स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साधित होने से स्वीकार किया जाकर चक 12 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 89/47 के मु.न. 51 के किला नम्बर 10/2 की 0.101 हैक्टर नहरी भूमि को कलमजन कर वादिया शारदा पत्नी बलदेव सिंह के चक 12 ओ के खाता संख्या 65/56 जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 11.11.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

मुकदमे	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इयूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 425

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।



11/11/21

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर